कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक................../जिला विधि.,
[IX-04/2007-13]
दिनांक 10.2013

बिहार सरकार

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक ::
आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, किशनगंज।

विषय :– **पोठिया (पहाड़कट्टा) थाना कांड सं. 142/2012, दिनांक 11.09.2012, धारा 406/409/467/468/477(ए.)/420 भा.द.वि. में प्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, जहांगीरपुर पंचायत, थाना पहाड़कट्टा, पोठिया (पिता जगदीश साह, सा. एवं थाना धरहरा, जिला मुंगेर) के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत कार्यालय पत्रांक 449/जि.विधि, दिनांक 19.08.2013 द्वारा उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक 1859/अप.शा., दिनांक 21.09.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा अभियोजन स्वीकृत्यादेश की मांग की गई है।

संबंधित मामले में कृत कार्रवाई से पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को अवगत कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह./–
(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक ....591........../जि.विधि., किशनगंज, दिनांक ..15.....10.2013.

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को कार्यालय पत्रांक 449/जि.विधि, दिनांक 19.08.2013 एवं उनके पत्रांक 1859/अप.शा., दिनांक 21.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।